

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 149 / 2014 / बूंदी

मैसर्स सिलिकोन इन्फोटेक, बाईपास रोड, बूंदी.अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06 / 07 / 2015

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्र क्रमांक VAT/ACTO I/BUNDI/03-01-2014 में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत-बूंदी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2005–06 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये नोटिस क्रमशः दिनांक 25.02.2008 सुनवाई दिनांक 13.03.2008; दिनांक 13.03.2008 सुनवाई दिनांक 25.03.2008 एवं दिनांक 25.03.2008 सुनवाई दिनांक 31.03.2008 की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(7) के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2008 को पारित करते हुए कुल रूपये 52,200/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र दिनांक 03.05.2008 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 25.06.2008 से इस आधार पर निरस्त किया गया कि बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा पुनः

लगातार.....2

प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रार्थना—पत्र दिनांक 03.01.2014 को प्रस्तुत करते हुए प्रकरण को रि—ओपन करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र भी प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 06.01.2014 से इस आधार पर खारिज किया गया कि इस प्रकरण में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है, अतः एक ही प्रकरण में दो बार निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सम्मन अपीलार्थी पर तामील नहीं कराया गया एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध मांग सृजित की गयी है। व्यवहारी द्वारा कर चुके माल का व्यवसाय किया जाता है, अतः किसी प्रकार की करदेयता नहीं बनती है। कर निर्धारण अधिकारी ने मनमाने तौर पर बिक्री अनुमानित की जाकर मांग सृजित किये जाने में त्रुटि की है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा खारिज कर दिया गया। पुनः इसी प्रकरण में धारा 34 के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जो कि मेन्टेनेबल नहीं होने से प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से अस्वीकार किया गया है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु व्यवहारी को सुनवाई हेतु तीन नोटिस जारी किये गये हैं तथा तीनों नोटिस अपीलार्थी को तामील होने के बावजूद अपीलार्थी वांछित दस्तावेज लेकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 के कर निर्धारण हेतु प्रथम नोटिस दिनांक 25.02.2008 सुनवाई दिनांक 13.03.2008 को जारी किया गया, जो अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2008 को तामील कराया गया। द्वितीय नोटिस दिनांक 13.03.2008 सुनवाई दिनांक 25.03.2008 के लिये जारी हुआ, जो अपीलार्थी पर दिनांक 21.03.2008 को तामील हुआ। तृतीय नोटिस दिनांक 25.03.2008 सुनवाई दिनांक 31.03.2008 के लिये जारी हुआ, जो अपीलार्थी पर दिनांक 27.03.2008 को तामील हुआ। उक्त तीनों नोटिसों के तामील होने के बावजूद ना तो अपीलार्थी वांछित लेखा-पुस्तकें एवं दस्तावेज लेकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ एवं ना ही आगामी तारीख पेशी बाबत कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि नियत तारीख पेशियों को अपीलार्थी किसी बीमारी से ग्रसित होने अथवा अस्वस्थ होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ थे।

7. कर निर्धारण अधिकारी के एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2008 को रि-ओपन करने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 38 के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 03.05.2008 को प्रस्तुत किया गया, जो प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 25.06.2008 से इस आधार पर खारिज किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रकरण को रि-ओपन कराने हेतु पुनः प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 03.01.2014 को प्रस्तुत किया गया। प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 06.01.2014 से अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रकरण में पूर्व में निर्णय पारित कर दिया गया है, अतः प्रार्थना-पत्र मेन्टेनेबल नहीं है।

8. इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 38 निम्न प्रकार है :–

Sec. 38. Reopening of ex-part assessment.-

- (1) Where an assessment has been made ex parte to the best judgment of the assessing authority under sections 27, 28, 29 or 30, the assessing authority may, on the application of the dealer made within thirty days from the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment, cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law, if it is satisfied, –

- (a) that the dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 27, 28, 29 or 30; or
 - (b) that he was prevented by sufficient and reasonable cause from complying with any notice or summon referred to in clause (a) above.
- (2) An application under sub-section (1) shall be presented to the assessing authority himself and a receipt thereof shall be obtained. The said application shall be disposed of within a period of six months from the date of presentation. Where such-application is not disposed of within the said period it shall be deemed to have been accepted.
- (3) Where the application has been accepted or is deemed to have been accepted under sub-section (2), the fresh assessment shall be made within a period of one year from the date of presentation of application.
- (4) Where an application made under sub-section (1) is rejected, the period from the date of filing of the application up to the date of rejection thereof shall be excluded for the purpose of limitation specified in sub-section (2) of section 84.

9. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रकरण में एक बार निर्णय पारित कर दिये जाने के बाद पुनः उसी बिन्दु पर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को मेन्टेनेबल नहीं मानते हुए अस्वीकार किये जाने में भी कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 06.01.2014 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
06/01/2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य